# निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

**प्रकरण सख्या :– 180 / 2022 प्रार्थनापत्र**
**दायर दिनांक :– 27 / 06 / 2022**
**निर्णय दिनांक :– 28 / 02 / 2025**

अनवान

1. गोपी पिता हमीर जाति सुथार निवासी सामरनाका तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. नारू पिता हमीर जाति सुथार निवासी सामरनाका तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. मोहन पिता पना जाति सुथार निवासी सामरनाका तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. रूपा पिता हमीर जाति सुथार निवासी सामरनाका तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. लक्ष्मणलाल पिता हमीर जाति सुथार निवासी सामरनाका तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. हजारी पिता हमीर जाति सुथार निवासी सामरनाका तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रार्थीगण

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

–अप्रार्थी

**उपस्थित :–**
**वादी की ओर से –  श्री हरलाल रायका, अधिवक्ता**
**प्रतिवादी की ओर से – पैरोकार सरकार**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम**

**: : निर्णय : :**

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)



सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि ग्राम सामरनाका पटवार हल्का स्वादडी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राज0 में प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि जिसके पुराने आराजी संख्या 121/36 रकबा 30 बीघा, आराजी संख्या 222/35 रकबा 01—05 बीघा, आराजी संख्या 233/36 रकबा 01—10 बीघा, कुल किता 32—15 बीघा संवत् 2069—2072 की जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी तथा नये आराजी संख्या 410, 421, 421/472 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8000 हैक्टेयर भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटी है। उक्त भूमि के प्रार्थीगण सहखातेदार मालिक हैं एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज कास्त हैं परन्तु वर्तमाान राजस्व रिकॉर्ड में जो प्रार्थीगण की भूमि नये आराजी संख्या 410, 421, 421/472 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8000 हैक्टेयर भूमि दर्ज है वह गलत दर्ज है जबकि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की पुरानी जमाबंदी एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि 32 बीघा 15 बिस्वा होती है। उक्त भूमि का प्रार्थीगण खातेदार मालिक है एवं उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में जो प्रार्थीगण की भूमि का क्षेत्रफल 1. 8000 हैक्टेयर दर्ज किया गया है वह गलत दर्ज है जबकि प्रार्थी की उक्त भूमि के पुरानी जमाबंदी अनुसार रकबा 32 बीघा 15 विस्वा दर्ज था वह सही हैं तथा उसी अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज कास्त है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शे में सेटलमेन्ट विभाग की गलती से नये आराजी संख्या 410, 421, 421/472 क्षेत्रफल 32 बीघा 15 विस्वा को कम करके 1.8000 हैक्टेयर अंकित कर दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

जबकि प्रार्थी पूर्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर काबिज है एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गलत अंकन की जानकारी प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस एवं रेकॉर्ड प्राप्त करने पर हुई। राजस्व रिकॉर्ड में हम प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन कर दिया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी परन्तु अभी प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात की जमाबंदी नकल एवं नक्शा ट्रेस निकलवायी तब प्रार्थीगण को नवीन राजस्व जमाबंदी में हुई त्रुटि की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थीगण ने जमाबंदी नकल एवं राजस्व नक्शा ट्रेस, राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तो पता चला कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का जो वर्तमान नवीन जमाबंदी में क्षेत्रफल कम अंकित कर राजस्व नक्शे में पूर्व नक्शा ट्रेस अनुसार अंकित नही किया गया है जो त्रुटिवश दर्ज है। प्रार्थियां की भूमि का रकबा कम कर दिया गया है एवं नवीन आराजी संख्या 410, 421, 421/472 के क्षेत्रफल को सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व जमाबन्दी रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम कर दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगणो की खातेदारी भूमि के वास्तविक एवं सभी दस्तावेज एवं पटवारी हल्का द्वारा जारी की गयी राजस्व जमाबंदी प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। राजस्व जमाबंदी एवं रिकार्ड एवं राजस्व नक्से में त्रुटि की वजह से प्रार्थीगणों को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा वर्तमान राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में वृटिवश हुए गलत अंकन को पूर्व जमाबंदी एवं नक्शे में बृटिवश हुए गलत अंकन को पूर्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस एवं मौके पर कब्जे अनुसार दुरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दूरस्ती का आप न्यायालय से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण जब उक्त राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि की शुद्धि हेतु तहसील कार्यालय पहुँचे तो वहाँ पर जानकारी हुई की राजस्व रिकार्ड एवं जमाबंदी में शुद्धि के लिये दावा करना पड़ेगा जिससे रालस्य रिकार्ड की दूरस्ती के लिये आप न्यायालय में धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रार्थीगण पूर्व राजस्व जमाबंदी संम्वत् 2069 से 2072 एवं नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर काबिज है परन्तु वर्तमान राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा में प्रार्थीगण की भूमि के क्षेत्रफल का गलत अंकन राजस्व नक्शे में त्रुटिपूर्ण दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को काफी नुकसान पँहुच रहा है। तथा राजस्व जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में गलत अंकन होने की वजह से प्रार्थीगण भूमि को विकसीत नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण पूर्व राजस्व जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस रेकार्ड के अनुसार ही मौके पर काबिज है। परन्तु नये राजरूव जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेश रिकार्ड में प्रार्थीगण की भूमि के क्षेत्रफल में त्रुटि होने की वजह से उसे विसुद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण न्यायालय आपके क्षेत्र के निवासी हौने एवं वादग्रस्त कृषि भूमि जिसका अंकन दूरस्त किया जाना है वह राजस्व ग्राम सामरनाका पटवार हल्का स्वादडी तहसील देवगढ़ में स्थित हाने से क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थन भू राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के वर्तमान आराजी खसरा नं0 410, 421, 421 / 472 क्षेत्रफल 1. 8000 हैक्टेयर रकबै को दूरसत कर पुरानी जमाबंदी राजस्व रेकार्ड

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

अनुसार एवं नक्सा ट्रेस अनुसार एवं प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज कर राजस्व नक्शा ट्रेस मे तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किया गया जो सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का स्वादड़ी बी की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उल्लेखित है कि ग्राम बीड़ देवगढ़ की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 111 में आराजी संख्या 421 रकबा 1.5100 हैक्टेयर आराजी संख्या 421/472 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.53 हैक्टेयर होकर गोपी पिता हमीर हिस्सा 1/8 जाति सुथार आई सी सी आई लसानी रूपा पुत्र हमीर हिस्सा 1/8 जाति सुथार आई सी सी आई लसानी लक्ष्मणलाल पिता हमीर हिस्सा 1/8 जाति सुथार आई सी सी आई लसानी हजारी पुत्र हमीर हिस्सा 1/8 जाति सुथार आई सी सी आई लसानी नारू पिता पना हिस्सा 1/4 जाति सुथार मोहन पुत्र पना हिस्सा 1/4 जाति सुथार के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम बीड देवगढ़ के उक्त नवीन आराजी संख्या 421 व 421/472 के पूरान आराजी संख्या 121/36 रकबा 30 बीघा दर्ज थी। जो पुराने रकब से 4.97 हैक्टेयर कम है। वक्त तरमीमी सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त पुराने आराजी संख्या 121/36 के नवीन आराजी संख्या 421 व 421/472 कायम कर रकबा 1.53 हैक्टेयर कर कुल रकबे में 4.97 हैक्टेयर कम किये गये है। प्रार्थी का वर्तमान नवीन नक्शे में दर्ज बिलानाम आराजी

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

संख्या 401 रकबा 4.32 हैक्टेयर के अधिकांश भाग आराजी संख्या 409 रकबा 1.33 हैक्टेयर एवं खातेदारी आराजी संख्या 421 व 421/472 पुत्र रकबा 1.53 हैक्टेयर पर पत्थर की दीवार बनाकर पूर्व से काबिज है। जो पुराने मूल आराजी संख्या 35 के कायम हुए। प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पूराने आराजी संख्या ग्राम बीड देवगढ़ के मूल आराजी संख्या 36 में से कायम हुये है। ग्राम बीड देवगढ़ के मूल आराजी संख्या 36 में से खरीदी हुई है एवं पुराने नक्शे में तरमीम नहीं है। ग्राम बीड़ देवगढ़ के नवीन आराजी संख्या 401 व 409 वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज है। क्योंकि प्रार्थी का कब्जा मूल आराजी संख्या 35 में हैं जबकि रिकॉर्ड अनुसार भूमि आराजी संख्या 36 में से थी जो कि वर्तमान में आराजी संख्या 401 व 409 बिलानाम दर्ज हैं। अतः प्रार्थी के नाम 401 व 409 किया जाना उचित नहीं होगा।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> 90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

गोपी व अन्य बनाम सरकार
प्रकरण संख्याः—180 / 2022
निर्णय दिनांकः—28 / 02 / 2025

उभयपक्ष की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पैरोकार द्वारा पेश जवाब व पटवारी हल्का स्वादडी बी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पैरोकार सरकार एवं पटवारी हल्का स्वादड़ी बी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28 / 02 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)